रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1986/अग्रहायण 14, 1908

No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1986/AGRAHAYANA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 1986

सा.का.नि. 1257(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन के लिए न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कांडला पत्तन कर्मचारी अवकाश (संशोधन) विनियम, 1986 का अनुमोदन करती है और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं० पी.डब्ल्यू./पी.ई.आर.-19/85]

पी.एम. अब्राहम, अपर सचिव।

अनुसूची

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1953 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1964 को आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. ये विनियम, कांडला पोर्ट कर्मचारी अवकाश (संशोधन) विनियम, 1986 कहे जायेंगे।

2. विनियम 14 के उप विनियम (7) के विद्यमान खंड (ग) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

(1) (ग) संदाय की नकद राशि सेवा निवृत्ति की तारीख को प्रवृत्त दरों पर अर्जित अवकाश हेतु अनुज्ञेय अवकाश वेतन तथा उस अवकाश वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते के बराबर होगी। और प्रतिपूरक भत्ता और अथवा मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा।

3. विनियम 14 के उप विनियम (7) के विद्यमान खंड (घ) को को हटा दिया जाए।

सचिव

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1986

G.S.R. 1257(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124 read with Sub-section (1) of Section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees Leave (Amendment) Regulations, 1986 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW|PER-19|85]
P. M ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964, namely :

I. These Regulations may be called Kandla Port Employees Leave (Amendment) Regulations, 1986.

II. For the existing clause (c) of sub-regulation (7) of Regulation 14, the following shall be substituted namely :—

(1) (c) Cash payment will be equal to leave salary admissible for earned leave and dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement. No city Compensatory allowance and|or House Rent Allowance shall be payable.

III. Delete the existing clause (d) of sub-regulations (7) of Regulation 14.

Secretary,
Kandla Port Trust.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986